TaxcodeIN | www.taxcode.in

(ii) बीजकों या ऐसे अन्य दस्तावेजों में प्रभारित कर की विशिष्टियों का विचार किए बिना, उक्त अधिनियम की धारा 39 के अधीन विवरणी में समुचित लागू कर का संदाय 26 जनवरी, 2020 से संक्रमण तारीख तक किया जाएगा ;

(iii) जो 25 जनवरी, 2019 तक तत्कालिक संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव और तत्कालिक संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली में माल और सेवा कर पहचान संख्यांक (जीएसटीआईएन) में रजिस्ट्रीकृत हैं, उनको तत्कालीन संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव में रजिस्ट्रीकृत माल और सेवा कर पहचान संख्यांक (जीएसटीआईएन) जनवरी, 2020 के लिए विवरणी भरने के पश्चात् निवेश कर प्रत्यय (आईटीसी) का अतिशेष रजिस्ट्रीकृत माल और सेवा कर पहचान संख्यांक (जीएसटीआईएन) से नए संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव तथा दादरा और नागरा हवेली में नीचे दी गई निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अंतरण का विकल्प होगा :-

(क) उक्त व्यक्तियों का वर्ग नए रजिस्ट्रीकरण को प्राप्त करने के एक मास के भीतर आईटीसी के अंतरण के संबंध में अंतरक और अंतरिती के अधिकारिता कर अधिकारी को सूचना देगा;

(ख) संक्रमण तारीख के तुरंत पूर्व कर अवधि के लिए तत्कालीन संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव में विवरणी को भरने के बाद इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष के आधार पर निवेश कर प्रत्यय (आईटीसी) को अंतरित किया जाएगा;

(ग) निवेश कर प्रत्यय (आईटीसी) का अंतरण, संक्रमण तारीख के तुरंत पूर्व कर अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 39 के अधीन विवरणी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा और अंतरक जीएसटीआईएन **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** के सारणी 4(ख) (2) में अपने इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता से उक्त निवेश कर प्रत्यय (आईटीसी) में जमा करेगा और अंतरिती जीएसटीआईएन **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** के सारणी 4(क)(5) में अपने इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता में निवेश कर प्रत्यय (आईटीसी) के बराबर रकम जमा करेगा ।

3. उक्त व्यक्तियों के वर्ग इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में संघ राज्यक्षेत्र करों का अतिशेष इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता में संघ राज्यक्षेत्र कर के अतिशेष के रूप में अंतरित करेंगे, जिनके कारबार का मूल स्थान 25 जनवरी, 2020 की तारीख तक दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में आता है ।

[फा. सं. 20/06/03/2020–जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2020

No. 10/2020–Central Tax

G.S.R. 193(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies those persons whose principal place of business or place of business was in the erstwhile Union territory of Daman and Diu or in the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli till the 26th day of January, 2020; and is in the merged Union territory of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli from the 27th day of January, 2020 onwards, as the class of persons who shall, except as respects things done or omitted to be done before the notification, follow the following special procedure till the 31st day of May, 2020 (hereinafter referred to as the transition date) as mentioned below.

TaxcodeIN | www.taxcode.in

TaxcodeIN | www.taxcode.in

2. The said registered person shall,-

(i) ascertain the tax period as per sub-clause (106) of section 2 of the said Act for the purposes of any of the provisions of the said Act for the month of January, 2020 and February, 2020 as below:-

(a) January, 2020: 1st January, 2020 to 25th January, 2020;

(b) February, 2020: 26th January, 2020 to 29th February, 2020;

(ii) irrespective of the particulars of tax charged in the invoices, or in other like documents, raised from the 26th January, 2020 till the transition date, pay the appropriate applicable tax in the return under section 39 of the said Act;

(iii) who have registered Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in the erstwhile Union territory of Daman and Diu and the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli till the 25th day of January, 2019 have an option to transfer the balance of input tax credit (ITC) after the filing of the return for January, 2020, from the registered Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in the erstwhile Union territory of Daman and Diu to the registered GSTIN in the new Union territory of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli by following the procedure as below:-

(a) the said class of persons shall intimate the jurisdictional tax officer of the transferor and the transferee regarding the transfer of ITC, within one month of obtaining new registration;

(b) the ITC shall be transferred on the basis of the balance in the electronic credit ledger upon filing of the return in the erstwhile Union territory of Daman and Diu, for the tax period immediately before the transition date;

(c) the transfer of ITC shall be carried out through the return under section 39 of the said Act for the tax period immediately before the transition date and the transferor GSTIN shall debit the said ITC from its electronic credit ledger in Table 4(B)(2) of **FORM GSTR-3B** and the transferee GSTIN shall credit the equal amount of ITC in its electronic credit ledger in Table 4(A)(5) of **FORM GSTR-3B**.

3. The balance of Union territory taxes in electronic credit ledger of the said class of persons, whose principal place of business lies in the Union territory of Daman and Diu, as on the 25th day of January, 2020, shall be transferred as balance of Union territory tax in the electronic credit ledger.

[F. No. 20/06/03/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2020

सं. 11/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 194(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् तत्कालीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कहा गया है) को, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के उपबंधों के अधीन निगमित ऋणी हैं, जो निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जिनका कार्य प्रबंध, अंतरिम समाधान वृत्तिकों (आईआरपी) या समाधान वृत्तिकों (आरपी) द्वारा किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया पूरी होने तक वे नीचे यथाउल्लिखित अनुवर्ती विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे ।

TaxcodeIN | www.taxcode.in